

परिवहन निगम मुख्यालय  
लखनऊ

पत्रांक:-03/सीएसी/एमटी/10-1025सीएसी/2007-11 दिनांक 10 जून,2010

- 1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
- 2- समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),  
उ0प्र0 परिवहन निगम ।

विषय:-उ0प्र0 के मा0-भू0पू0 विधायकों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा के संबंध में

उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार उ0प्र0 विधान मण्डल के भू0पू0 मा0 सदस्यों को उ0प्र0 परिवहन निगम की समस्त श्रेणी की बसों में एक सहवर्ती सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदत्त है। इसके व्ययभार की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा परिवहन निगम को की जाती है।

श्री हरिद्वार पाण्डे, मा0 भू0पू0 विधायक ने अवगत कराया है कि मा0 भू0पू0 विधायकों द्वारा बस को रोकने के लिये संकेत देने पर कतिपय चालक/परिचालक, बस में सीटें खाली होने पर भी, उनको बैठाने के लिये बस नहीं रोकते हैं।

उक्त स्थिति अत्यन्त खेद जनक है तथा शासन व निगम मुख्यालय के निर्देशों की अवहेलना का घातक है।

कृपया अपने क्षेत्र/डिपो के समस्त चालकों/परिचालकों को पुनः निर्देशित करें कि मा0 भू0पू0 विधायकों द्वारा बसों को रोकने हेतु संकेत देने पर बस रोककर उन्हें बस में बैठाये तथा उन्हें सम्मानपूर्वक/नियमानुसार निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान कराये। निर्देशों की अवहेलना करने वाले चालक/परिचालक के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

  
(अंशु शेखर सिंह)  
अपर प्रबन्ध निदेशक